31

<u>हिन्दी रूपान्तर</u>

सं.11/2/2014-वीएस-(सीआरएस) / 751

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

दूरभाष-26104012 ई-मेल-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 25.03.2015

8536
12/8/15

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु

विषय: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तथा उसका प्रमाण पत्र जारी करने में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्ट तरीके अपनाना ।

महोदय,

जैसाकि आप जानते हैं जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा किए गए आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है । आरबीडी अधिनियम की धारा 7 और 21 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा ऐसे सभी जन्म (मृत जन्म सहित) और मृत्यु का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है जोकि उसके क्षेत्राधिकार में हुए हों । इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान के अन्तर्गत पंजीकरण का कार्य संपन्न होते ही रजिस्ट्रार द्वारा सूचनादाता को जन्म/मृत्यु रजिस्टरों से संबंधित उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी किया जाना भी अपेक्षित है ।

2. आप इस बात से सहमत होंगे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण तथा उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद भी यह देखा गया है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में तथा वांछित जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है । इस कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण तन्त्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबध में अनेक शिकायतें/ अभ्यावेदन अनेक राज्यों से प्राप्त हुए हैं । यह भी देखा गया है कि जन्म और मृत्यु के प्रमाणपत्र प्राप्त

ASO (vital)
11/8

करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यकर्ताओं को घूस दी जा रही है । भ्रष्टाचार की ये शिकायतें प्रधान मंत्र कार्यालय तक पहुंची हैं और प्रधान मंत्री कार्यालय ने इसको बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है ।

3. सफल और नागरिक अनुकूल सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को दोष रहित बनाने के लिए आपर जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण तथा उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी करने के वर्तमान तन्त्र के अन्तर्गत व्याप्त घूसखोरी को रोकने के लिए ठोस प्रयास करने तथा उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किय जाता है । ताकि आम जनता को निर्धारित समय सीमा के भीतर जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । राज्य सरकारों से यह अनुरोध है कि इस दिशा में निम्न कदम उठाए जाएं :-

i. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अथवा जनता को प्रमाणपत्र जारी करने के संबध में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करना । कानूनी कार्यवाही के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए ।
ii. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिसमें पंजीकरण (विलम्बित पंजीकरण सहित) करने और जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंधमें समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।
iii. एक स्थानांतरण नीति तैयार की जानी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कर्मियों के लिए जोकि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हैं । ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।
iv. अपने क्षेत्राधिकार में होने वाले किसी भी जन्म अथवा मृत्यु का बिना किसी उचित कारण के पंजीकरण करने की अनदेखी करने अथवा मना करने वाले अथवा निर्धारित मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने वाले किसी भी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार पर आरबीडी अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत निर्धारित शास्तियां लगाई जानी चाहिए ।

4. इस संबंध में आपसे प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है । इस मामले में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए, इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए ।

भवदीया,

पी॰ए॰ मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)